उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– 668/27–9–2009/स्टाम्प/2008
देहरादून, दिनांकः 02 सितम्बर, 2009

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तराखण्ड में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गई अधिसूचनाओं का आंशिक उपरान्तर करके, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूची 1–ख के अधीन निम्नलिखित वर्ग की लिखतों पर प्रभार्य शुल्क में छूट प्रदान करते है।

1. अनुच्छेद 5, करार या करार का ज्ञापनः– (ख–1) यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से सम्बन्धित है जहॉ कब्जा का दिया जाना स्वीकार न किया गया हो और न ही हस्तान्तरण पत्र का निष्पादन किये बिना दे दिये जाने का करार किया गया होधनराशि की उस सीमा तक जो इस करार में दी गयी प्रतिफल की धनराशि के आधे भाग की रकम पर प्रत्येक एक हजार रूपये अथवा उसके भाग पर चालीस रूप्ये की दर से आगणित शुल्क की धनराशि से अधिक हो;
2. अनुच्छेद 35, पट्टा, जिसके अन्तर्गत अवर–पट्टा या उप–पट्टा या उप–पट्टे पर देने के लिए कोई करार है –

(क) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (ख) (i) और (ग) (i) धनराशि की उस सीमा तक जो भाटक, जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य जैसी स्थिति हो पर प्रत्येक एक हजार अथवा उसके भाग पर बीस रूप्ये की दर से आगणित शुल्क की धनराशि से अधिक हो।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन,)
प्रमुख सचिव।

पत्रांक : 668(1)/27–9–2009/स्टाम्प/2008 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून।
4. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुए उसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभा–9 में उपलब्ध करा दें।
6. न्यायय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
सचिव।